न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—321/2016/223 (2016/00321)

1. भूराराम पुत्र बोदूराम, जाति जाट, निवासी मांगलवाड़ा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती बदाम देवी पत्नी हरिराम, जाति रेगर, निवासी छीतरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
2. नन्दलाल पुत्र किशनलाल,
3. श्रीराम पुत्र किशनलाल,
4. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल,
5. बनवारी पुत्र किशनलाल,
6. श्रीमती मीरा पत्नी किशनलाल,
7. हंसा पुत्री किशनलाल,
8. रामरख पुत्र सुज्या,
9. भींवड़ा पुत्र सुज्या,
10. रामलाल पुत्र सुज्या,
11. रामनारायण पुत्र बोदू,
12. मंगला पुत्र छोटू,
    समस्त जाति जाट, निवासी मांगलवाड़ा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।
13. प्रबंध सेन्ट्रल कॉ—ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा, दूदू, जिला जयपुर ।
14. सब रजिस्ट्रार मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
15. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू, जिला जयपुर, दिनांक 6.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 79/2014.

उपस्थितः—

1. श्री तेजेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 12 अनुपस्थित ।
4. श्री दिनेश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 13
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 व 15.

निर्णय

दिनांकः— 3.12.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के आराजी खाता संख्या 126 के आराजी खसरा नंबर 639 रकबा 0.4400 है0 बारानी–3 व खसरा नंबर 640 रकबा 1.4900 है0 नहरी–1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9300 है0 वाके ग्राम मांगलवाड़, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादिया 1/4 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 12, 1/2 हिस्से के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है । उपरोक्त विवादित आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजियात है परन्तु मौके पर पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया है तथा मौके पर मेड़बंदी कर ली तथा पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजियात पर काश्त उपज प्राप्त करते आ रहे है । विवादित आराजियात का राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने से वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिनं मेर कोर को लेकर विवाद रहता है । विवादित आराजियात में वादिया ने अपने हिस्से पर मेड़बंदी करके काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 उक्त आराजियात पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा वादिया के हिस्से की आराजियात को बेचान करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के मध्य विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विधिक बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.6.2016 द्वारा वादिया का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही तामील करवाई गई है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली को नियत दिनांक से पूर्व पत्रावली नियत कर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को जवाब, सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि को कभी भी उपजाऊ नहीं बनाया गया है बल्कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 12 ने भूमि को उपजाऊ बनाकर काश्त कर रहे है । रेस्पो0 संख्या 1 के मन में बदनियति आने से अपीलांट द्वारा उपजाऊ बनाई भूमि को हड़पने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसमें न्यायालय ने अपीलांट को जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा सही तथ्य सामने आये बिना अपनी मनमर्जी से गलत एवं अविधिक रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है । राज्य सरकार ने न्याय आपके द्वार अभियान के तहत लोक अदालतें ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित की जिसके तहत केवल आपसी राजीनामे व समझाईश के तहत ही प्रकरण निरस्तारण करने के निर्देश थे । हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था इसलिये

उक्त प्रकरण लोक अदालत में निर्णित नहीं किया जा सकता था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है । मौके पर पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्से का वाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात का पक्षकारों के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्डस (अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी) के सिद्धांत के अनुसार तकासमा के आदेश पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् आदेश है । यदि अपीलांट को बंटवारा से कोई आपत्ति है तो वे अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम डिक्री पारित करते समय अपने ऐतराज प्रस्तुत कर सकते है । अपीलांट ने अपील में पक्षकारों के हिस्से में कमी–बेशी के संबंध में कोई कथन नहीं किया है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी । अपील में एकतरफा कार्यवाही बाबत् ऐतराज किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1992 पेज 193, आर0आर0डी0 1994 पेज 620 एवं 693 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के आराजी खाता संख्या 126 के आराजी खसरा नंबर 639 रकबा 0.4400 है0 बारानी–3 व खसरा नंबर 640 रकबा 1.4900 है0 नहरी–1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9300 है0 वाके ग्राम मांगलवाड़, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादिया 1/4 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 12, 1/2 हिस्से के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अधी0न्याया0 ने वाद में दिनांक 6.6.2016 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, मौजमाबाद को वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्धांत अनुसार तकासमा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये है । अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को नोटिस तामील कराये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें अधी0न्याया0 ने पक्षकारान के हिस्से अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित की है । अपीलांट ने अपील में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया कि उसके हिस्से में कम भूमि रखी गई हो तथा वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से में अधिक भूमि रखी गई है । जहां तक बंटवारे का प्रश्न है तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय तथा अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट अपना ऐतराज अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर सकते है । अपीलांट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री में कोई त्रुटि कारित की गई हो । इसके अभाव में

अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.6.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर